



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुकान में चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 02 नकबजन अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण से कुल 10,400/- रुपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.10.2024 को वादी श्री फैजान पुत्र फारूख नि0 ग्राम लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. नाजिम पुत्र जमील उर्फ छोटा निवासी ग्राम सरकड थाना गंगोह सहारनपुर व 2. अमित पुत्र सोमपाल नि0 ग्राम सिकन्दरपुर थाना गंगोह सहारनपुर द्वारा वादी की दुकान से 57,500/- रु0 व आधार कार्ड चोरी कर लेने की सूचना के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-451/24 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में नकबजनी/चोरी की घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमे में त्वरित कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना करने वाले **02 शातिर नकबजन/अभियुक्तगण 1. नाजिम पुत्र जमील उर्फ छोटा निवासी ग्राम सरकड थाना गंगोह सहारनपुर व 2. अमित पुत्र सोमपाल नि0 ग्राम सिकन्दरपुर थाना गंगोह सहारनपुर** को लखनौती तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अमित के कब्जे से रु0 4400/- रुपये व अभियुक्त नाजिम के कब्जे से 6000 रु0/- बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्तों ने पूछने पर एक साथ बताया कि बताया कि हम नशे के आदी हैं और अपनी नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी चकारी करते हैं। दो दिन पहले ही हमने ग्राम लखनौती में स्टेट बैंक के सामने से एक दुकान से चोरी की थी। आज जो रुपये हमारे पास से मिले हैं, उसी चोरी के रुपये में से बचे पैसे हैं। बाकी पैसे हमने अपने खाने पीने व शौक करने में खर्च कर दिये।

बरामदगी का विवरण

➤ 10400/- रु0 नकद (चोरी के रुपये)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. नाजिम पुत्र जमील उर्फ छोटा निवासी ग्राम सरकड थाना गंगोह सहारनपुर
2. अमित पुत्र सोमपाल नि0 ग्राम सिकन्दरपुर थाना गंगोह सहारनपुर

अभियुक्त नाजिम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 89/22 धारा 4/25 अधि0 थाना थानाभवन जिला शामली।
2. मु0अ0सं0 527/22 धारा 379/411 भादवि थाना झीझाना जिला शामली
3. मु0अ0सं0 595/22 धारा 25 आयुद्ध अधि0 थाना झीझाना जिला शामली।
4. मु0अ0सं0 596/22 धारा 414 भादवि थाना झीझाना जिला शामली।

अभियुक्त अमित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 425/09 धारा 382 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 04/12 धारा 302/396 भादवि व 25/54/59 आयुद्ध अधि0 थाना इन्द्ररी जिला करनाल हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. है0कां0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. का0 326 रिकू थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. का0 404 मनीष थाना गंगोह जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द पुलिस द्वारा एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त शकील पुत्र जमीर निवासी ग्राम रसूलपुर टांक थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद स0-1046/11 व मु0अ0सं0 279/11 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व सम्बन्धित वाद सं0-267/2024 मु0अ0सं0- 986/2010 धारा 138 एनआई एक्ट थाना देवबन्द मा0 न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर चालानी थाना देवबन्द मा0 न्यायालय एसीजेएम देवबन्द द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में ग्राम रसूलपुर टांक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शकील पुत्र जमीर निवासी ग्राम रसूलपुर टांक थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री संजय कुमार राणा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

2- का0 2287 मनोज कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



दिनांक: 08.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण (01 टीन का कनस्तर, 02 फुट प्लास्टिक का पाईप, 01 प्लास्टिक का ड्रम, 01 प्लास्टिक की जरीकैन व 20 लीटर लहन) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.10.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर **अभियुक्त विकल पुत्र बारू निवासी ग्राम पिलखना थाना नकुड़ जिला सहारनपुर** को जंगल ग्राम पिलखना से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण (एक टीन का कनस्तर, 02 फुट प्लास्टिक का पाईप, एक प्लास्टिक का ड्रम, 01 प्लास्टिक की जरीकैन) व 20 लीटर लहन बरामद। बरामद 20 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 350/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयान:- अभियुक्त विकल उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अपने शौक पूरा करने के लिए शराब बेचता हूँ जिससे मुझे अच्छी आमदनी हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विकल पुत्र बारू निवासी ग्राम पिलखना थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 05 लीटर कच्ची शराब
- 01 टीन का कनस्तर,
- 02 फुट प्लास्टिक का पाईप,
- 01 प्लास्टिक का ड्रम,
- 01 प्लास्टिक की जरीकैन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 261 अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 1890 मोन्टी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 1806 योगेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. का0 65 पिन्टू थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. है0का0 791 राजीव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:08-10-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामलों में वांछित अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक-29.04.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. सादिक पुत्र सत्तार निवासी ग्राम डिडौली खेड़ा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर व 2. इकराम पुत्र इस्लाम निवासी मौ० हामद हसन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं०—223/24 धारा—87 बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर टीम गठित कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दुष्कर्म के वांछित **अभियुक्त सादिक पुत्र सत्तार निवासी डिडौली खेड़ा थाना चिलकाना सहारनपुर** को फिरोजाबाद रोड पर अब्दुल्लापुर अहाड़ी कट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1)/351(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सादिक पुत्र सत्तार निवासी डिडौली खेड़ा थाना चिलकाना सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रितिक--

मु०अ०सं०—223/24 धारा—87/64(1)/351(2) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ०नि० श्री बिजेन्द्र सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. है०का० 1033 प्रवीण कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण (01 लोहे का ड्रम , 02 फीट प्लास्टिक का पाईप, 01 प्लास्टिक का ड्रम, 01 लोहे का तसला, 01 बडा गैस सिलेण्डर व 50 लीटर लहन) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.10.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 01 शराब तस्कर **अभियुक्त अनुज पुत्र ओमबीर नि0 ग्राम नानूवाला उर्फ धुन्धामाजरा थाना नकुड़ जिला सहारनपुर** को ग्राम नानूवाला उर्फ धुन्धामाजरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण (एक लोहे का ड्रम , 2 फीट प्लास्टिक का पाईप , एक प्लास्टिक का ड्रम , एक लोहे का तसला, एक बडा गैस सिलेण्डर) व 50 लीटर लहन बरामद। बरामद 50 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 352/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। **पूछताछ का बयान:-** अभियुक्त अनुज उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि अपना खर्च चलाने के लिए शराब बेच लेता हूँ जिससे मुझे अच्छी आमदनी हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनुज पुत्र ओमबीर नि0 ग्राम नानूवाला उर्फ धुन्धामाजरा थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 लोहे का ड्रम
- 02 फीट प्लास्टिक का पाईप
- 01 प्लास्टिक का ड्रम
- 01 लोहे का तसला
- 01 बडा गैस सिलेण्डर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री पंकज सिंह चौहान आबकारी टीम सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 मंयक सिंह आबकारी टीम सहारनपुर
5. का0 भूपाल चन्द्र आबकारी टीम सहारनपुर
6. का0 480 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 08.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के मामलें में वांछित अभियुक्त
को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनांक 03.10.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त समीर उर्फ माडा पुत्र शराफत निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने, अश्लील हरकते करने व जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 163/24 धारा 74/351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधिनियम के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में वांछित **अभियुक्त समीर उर्फ गाडा पुत्र शराफत निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को ग्राम कासमपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

समीर उर्फ गाडा पुत्र शराफत निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री नितिन कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 2219 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 08.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी आपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 02 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र पुत्र इलम सिंह निवासी ग्राम लण्डौरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर व 2. धर्मेन्द्र पुत्र इलम सिंह निवासी ग्राम लण्डौरा जनपद सहारनपुर को संबंधित वाद सं0 1364/22 धारा 323/504/506 भादवि माननीय एसीजे (जेडी) जेएम दवेबन्द सहारनपुर में ग्राम लण्डौरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. राजेन्द्र पुत्र इलम सिंह निवासी ग्राम लण्डौरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. धर्मेन्द्र पुत्र इलम सिंह निवासी ग्राम लण्डौरा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री नीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 829 सुमित थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 827 रवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 08.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र मोईन अहमद नि0. चिलकाना अडडा थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0-2731/24 व मु0अ0सं0 217/97 धारा 147/341/323/504/427 भादवि चालानी थाना सदर बाजार में कोतवाली मण्डी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुस्तकीम पुत्र मोईन अहमद नि0. चिलकाना अडडा थाना को0 मण्डी स0पुर

अभियुक्त मुस्तकीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 217/97 धारा 147/341/323/504/427

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 2064 रुचिन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर.
3. का0 2212 राजवीर थाना सदर बाजार सहारनपुर.



दिनांक: 08.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मदाक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त सलमान पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला चौधरी विहार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को ग्राम देवला सुमली चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 427/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त सलमान उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं ज्यादा पढा लिखा नहीं हूँ और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। इसलिए मैं हरियाणा से सस्ते दामों पर शराब खरीद कर ले आता हूँ और अपने आस पास नशा करने वाले व्यक्तियों को महंगे दाम में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सलमान पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला चौधरी विहार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

अभियुक्त सलमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 174/24 धारा 454/380/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 252/21 धारा 379/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 172/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- है0का0 839 कपिल राणा थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- का0 1932 बिजेन्द्र थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- का0 1253 अनिरुद्ध थाना को0देहात जनपद सहारनपुर



दिनांक: 08.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.10.2024 को 01 वारंटी अभियुक्त शाहरुख पुत्र जमीर निवासी महक कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 286/22 मु0अ0सं0 389/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व वाद सं0 3265/22 मु0अ0सं0 390/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना कुतुबशेर (माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं 11 जनपद सहारनपुर) को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहरुख पुत्र जमीर निवासी महक कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 840 अनुज आर्य थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1215 कपिल गौड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 08.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, पुलिस द्वारा 02 महिला अभियुक्ता सहित कुल 03 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 60 लीटर अवैध शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. राजकुमार पुत्र धीर निवासी ग्राम/मौहल्ला बाबा जी का टोला थाना दुधपुरा जिला समस्तीपुर बिहार 02. निशा देवी पत्नी स्व० जगदेव निवासी ग्राम अघौना थाना छिलकौरा जिला खगडिया बिहार 03. रिकू देवी पत्नी बालकेश्वर चौधरी निवासी ग्राम अघौना थाना छिलकौरा जिला खगडिया बिहार को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 60 लीटर अवैध शराब बरामद। बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु०अ०स० 306/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर एक स्वर में बताया कि हम तीनों हरियाणा राज्य से सस्ते दामों में शराब खरीदकर लाते हैं व ट्रक वालों को महँगे दामों में बेच देते हैं, जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. राजकुमार पुत्र धीर निवासी ग्राम/मौहल्ला बाबा जी का टोला थाना दुधपुरा जिला समस्तीपुर बिहार
2. निशा देवी पत्नी स्व० जगदेव निवासी ग्राम अघौना थाना छिलकौरा जिला खगडिया बिहार
3. रिकू देवी पत्नी बालकेश्वर चौधरी निवासी ग्राम अघौना थाना छिलकौरा जिला खगडिया बिहार

बरामदगी का विवरण

➤ 60 लीटर अवैध अग्रेजी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री रणवीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है०का० 97 अनुराग थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का० 2391 सोनू थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. म०उ०नि० श्रीमति अक्षिता सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. म०का० 917 मनीता थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. म०का० 825 वकीला थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08-10-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 05.09.2024 को वादी श्री शहराज पुत्र रिजवान निवासी ग्राम नगला झण्डा थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत 03 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के उपर जान से मारने की नीयत से तीन फायर करने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0स0 274/24 धारा धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बेहट के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.10.2024 को उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त सागर पुत्र सरवण निवासी ग्राम बूबका थाना बेहट सहारनपुर को कलसिया तिराहे से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक पुत्र नरेन्द्र सैनी नि0 ग्राम राठोर कालोनी रूडकी रोड छुटमलपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर को पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.09.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त सागर के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं और दीपक दोनो दोस्त है। शहराज और दीपक के भाई के बीच किसी बात को लेकर झगड़ हो गया था। इसी बात को लेकर मैंने व दीपक ने शहराज के उपर फायरिंग की थी ओर मोके से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सागर पुत्र सरवण निवासी ग्राम बूबका थाना बेहट सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री तोताराम थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
3. हे0का0 109 संजीव कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08-10-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामदा

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं चोरी/लूट जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.10.2024 को पुलिस टीम द्वारा ग्राम कादरपुर रोड़ पर आम के बाग से अभियुक्तगण समद पुत्र सफीक एवं अजीम पुत्र शहीद निवासीगण मोहल्ला कस्साबान थाना बेहट जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक-एक छुरा नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0 323/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा।

पूछताछ पर दोनो अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनो मिलकर छोटी मोटी चोरी चकारी करते हैं ओर जंगल में आने जाने वाले लोगो को डराने धमकाने के लिए छुरे रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. समद पुत्र सफीक नि0 मोहल्ला कस्साबान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर जिला सहारनपुर
2. अजीम पुत्र शहीद नि0 मोहल्ला कस्साबान थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. एचसी 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 586 राजीव पवार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शराब के 39 मुकदमों में बरामद की गई करीब 1100 लीटर अवैध शराब (कीमत करीब 06 लाख 50 हजार रुपये) का माननीय न्यायालय के आदेश से विनष्टीकरण किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी व निर्माण की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में अभियान ऑपरेशन क्लीन के अन्तर्गत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोदय जनपद सहारनपुर के आदेश दिनांक 25.09.2024 के अनुपालन में नायब तहसीलदार श्री भूपेन्द्र सिंह तहसील बेहट सहारनपुर की अध्यक्षता में तथा श्री अभितेष सिंह क्षेत्राधिकारी बेहट, श्री अखण्ड प्रताप सिंह सहायक अभियोजन अधिकारी न्यायालय सदर सहारनपुर, श्री विकास यादव आबकारी निरीक्षक एवं श्री बीनू सिंह प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.10.2024 को वर्ष 2023 व 2024 में आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 39 अभियोगों में बरामद कुल 1100 लीटर अवैध शराब जिसकी कीमत करीब 06 लाख 50 हजार को विकासनगर रोड पंजना नदी में जे0सी0बी से गहरा गड्ढा खुदवाकर समस्त माल को उसमें दबवाकर नष्ट किया गया।

नष्ट की गयी अवैध शराब का विवरण –

1. अग्रेंजी शराब करीब 230 लीटर
2. देशी शराब करीब 860 लीटर
3. कच्ची शराब 10 लीटर

अवैध शराब निस्तारण हेतु गठित टीम:-

1. श्री अभितेष सिंह क्षेत्राधिकारी बेहट जिला सहारनपुर
2. श्री भूपेन्द्र सिंह नायब तहसीलदार तहसील बेहट जिला सहारनपुर
3. श्री अखण्ड प्रताप सिंह सहायक अभियोजन अधिकारी सदर न्यायालय सहारनपुर
4. श्री बीनू सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. श्री विकास यादव आबकारी निरीक्षक सहारनपुर
6. हैड मोहरीर 1012 गौरव कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 08.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दोषी अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -

अवगत कराना है कि दिनांक 07.06.2013 को वादी हरीश कुमार पुत्र राधाकृष्ण नि० ए-41 गोपाल नगर नुमाइश कैम्प थाना कोत०नगर सहारनपुर के द्वारा अभियुक्तगणों 1.बोबी पुत्र परमजीत सिंह नि० नाला पट्टी किशनपुर 2.बबलू उर्फ पीटर पुत्र रामकिशन नि० विजय टाकीज के पास थाना कोत०नगर 3.विन्नी उर्फ वीजन पुत्र गोवर्धनलाल नि० ज्वालानगर थाना कोत०नगर द्वारा जान से मारने की नियत से वादी के लडके सन्नी को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देने की सूचना पर मु०अ०स०-125/2013 धारा 307/34,120बी भादवि थाना कोत०नगर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 735/2013 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 08.10.2024 को **बोबी पुत्र परमजीत सिंह निवासी नाला पट्टी किशनपुर को मु०अ०स०-125/2013 धारा 307/34,120बी भादवि का दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कारावास व 50 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

नोट:- 1.बबलू उर्फ पीटर पुत्र रामकिशन नि० विजय टाकीज के पास थाना कोत०नगर व 2.विन्नी उर्फ वीजन पुत्र गोवर्धनलाल नि० ज्वालानगर थाना कोत०नगर को सभी धाराओं में दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री अमित त्यागी
विवेचक उनि० स्व० श्री इतवारीलाल
पैरोकार का०-2162 तेजवीर थाना कोत०नगर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा विस्फोटक अधिनियम से सम्बन्धित अवैध विस्फोटकों /
ज्वलनशील समाग्री का का माननीय न्यायालय के आदेश से विनष्टीकरण किया गया**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा निर्गत आदेश माल मुकदमाती निस्तारण अभियान व प्रचलित अभियान आपरेशन क्लीन के अन्तर्गत श्री मुकुल सागर उप जिला मजिस्ट्रेट बेहट सहारनपुर की अध्यक्षता में श्रीमान आशुतोष सिंह क्षेत्राधिकारी बेहट महोदय, श्री राजीव वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर व एचएम 980 नीतू कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर के द्वारा आज दिनांक 08.10.2024 को **मु0अ0सं0 67/2024 धारा 5/9B(1)(A) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम** से सम्बन्धित/बरामदा विस्फोटकों/ज्वलनशील समाग्री को मांडुवाला नदी में जे0सी0बी0 से गहरा गड्ढा खुदवाकर माल मुकदमाती को नष्ट किया गया। जिसकी फोटो एवं वीडियोग्राफी करायी गयी।

नष्ट किये गये विस्फोटक/ज्वलनशील माल का विवरण –

1. 31 पुलिन्दे में पटाखे कुल 1800
2. 01 सफेद कट्टे में ज्वलनशील पदार्थ
3. 01 ड्रम केमिकल भरा हुआ

विनष्टीकरण हेतु गठित टीम के सदस्यों के नाम–

1. श्री मुकुल सागर उप जिला मजिस्ट्रेट सदर सहारनपुर (अध्यक्ष)
2. श्री आशुतोष सिंह क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर (सदस्य)
3. श्री राजीव वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सहारनपुर
4. श्री धर्मेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. व0उ0नि0 रईस अहमद थाना फतेहपुर सहारनपुर
6. एच0एम0 980 नीतू कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर